

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज सहायक कलटर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

तीजा

बनाम

मदनराम वगैरह

प्रकरण अपील

प्रकरण संख्या 39/2013

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही इनिषिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
013	<p>अपीलान्त नै जरिये अभिभाषक रेस्पोंडेंट के अपील अधील धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध ग्राम पंचायत बडीखादू के नामान्तरण सं. 376 दिनांक 02.10.1976 को स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जो जरिये सममन जवाब देही हेतु तलब किया जावें। मिसल दिनांक 27.05.13 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर (नागौर)</p>	
27/5/13	<p>कार संध द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है। रेस्पोंडेंट स. 8, 9 का सममन शामिल शुद्ध धारा 204 के सममन अधिनियम 1956 (सं. 376) जो शामिल गिरीत किने गये। वार संध द्वारा कार्य स्थगित रखे जाने से परावली दिनांक 9/7/13 को पेश हो।</p>	
9/7/13	<p>वकुलाय इज रेस्पोंडेंट स. 1 व 8 के सममन ठार वालीय चेरी पर प्राप्त है जो गैर शामिल है इनके विरुद्ध रुक-रूकिय कार्यवाही कलक्टर के द्वारा जारी है शेष पक्षकारान के सममन तलबाना पेश करे परावली दिनांक 9/9/13 को पेश हो।</p> <p>जकार/पक्षकारान क प्रावधान</p> <p>गैर शामिल पक्षकारान को नोटिस दे/प्रकारण प्रकाम पर गैर है, इसलिए प्रकाम उनके सममन दिनांक में पेश करें।</p>	

9/11/13 वकुलध उपाय विद्यापीठ सं. 2, 4 & 5
 की ओर से कनिष्ठ श्री शिवकुमार
 पाराशर के वकालतनामा तथा 2 फरका
 जवाब पेश किया जिसमें से 2
 के सम्मन तारीख 3/12/13 को
 प्राप्त नहीं हुए हैं पत्रावली दिनांक
 20-10-13 को पेश हो
 सहायक
 (ब. सं. 5)

30/9/13
 न्यायाधीश
 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश
 अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प
 उनके समक्ष दिनांक 30/9/13 को
 पेश करेंगे।

25-10-13 पत्रावली पेश हुई / वकुलध उपाय / पत्रावली
 पूर्व आदेशों की फालत हो चिकांक
 6-12-13 का पत्र के लिए

21/12/13
 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश
 अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प
 उनके समक्ष दिनांक 26-11-13 को
 पेश करेंगे।

20/11/14
 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश
 अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प
 उनके समक्ष दिनांक 19/11/14 को
 पेश करेंगे।

17/11/14 पी. सी. साहव खाता कार्य में व्यस्त
 हैं, मिलकर आदेश दि. 31-3-14 का पत्र
 हो

31/3/14
 चुनाव कार्य में व्यस्त
 अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प
 उनके समक्ष दिनांक 30/3/14 को
 पेश करेंगे।

FORM NO. 3
फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)
(नियम 28)

नाम
 केस
 संख्या वर्ष

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
<p>न्यायाधीश 30/9/13 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प उनके समक्ष दिनांक 16/7/14 को पेश करेंगे।</p>	
<p>न्यायाधीश 16/11/14 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प उनके समक्ष दिनांक 22/9/14 को पेश करेंगे।</p>	
<p>न्यायाधीश 22/9/14 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प उनके समक्ष दिनांक 25/11/14 को पेश करेंगे।</p>	
<p>25/11/14 पत्रावली 34/1 प्रतिवादी सं. 206 की तलाश हेतु वकालत पत्रावली पत्रावली दिनांक 19/11/15 को पेश होगी</p>	

12-6-20
 पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट तिथि में/अवकाश
 अवकाश पर गये हैं, इसलिए प्रकल्प
 उनके समक्ष दिनांक 17-7-20 को
 पेश करेंगे।

(मामा नं. 1) वकील कपीलार उपाय श्रेणी 2 की अर्ज पर जो शर्तें हैं वकील शर्ती का मुंडे लम्बा सिद्ध पत्र की क्लॉकरी कि 22/10/20 के पत्र है।

फर्द अहकाम
(नियम-26)
अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)
वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

प्रकरण : मुकदमा नं.-

पक्षकार/पक्षकारान के अधिकार
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
हुकम या कार्यवाही इतिहास पत्र
नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हूये।

पीछीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक... को प्रस्तुत करें।

07/10/20: वकील कपीलार उपाय श्रेणी 2 के अर्ज की ओर से पक्षकारान का अर्ज पत्रकाय पर लम्बा सिद्ध पत्र किया जो शर्तें हैं वकील कपीलार ने खुद प्रार्थना शर्ती/रेल्वेपेडर के अर्ज होने पर उनके अर्ज की रेडी पर विपरीत जाहार पत्र किया। वकील कपीलार का उक्त अर्ज तथा रेल्वेपेडर से की तलनी ले लम्बा पत्र की गमल सिद्ध: 02/11/20 के पत्र है।

12/10/20: अर्ज पर अर्ज की तलनी ले वकील कपीलार ने खुद अर्ज का जो अपील में किया जाता है गमल सिद्ध: 10/11/20 के पत्र है।

14/11/20: कुलाम उपाय वकील कपीलार ने खुद अर्ज का अर्ज रेल्वेपेडर नं. 16 की तलनी ले लम्बा पत्र के लिए पत्र किया जो लीजा किया जाता है जाहार पत्र के लिए लम्बा पत्र है। गमल सिद्ध: 13/11/20 के पत्र है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

02/12/20
पीछीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक... को प्रस्तुत करें। 06/01/21

30/12/20
पीछीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक... को प्रस्तुत करें।

06/01/21 मिसल पत्रा हुन। वकील श्री धनुमानदास भण्डा ने प्रा.पत्र अधीन अधिन 22 नियम 3 CPC वाले न्याय भूकाम अर्जने जाहार पत्र किया जो शर्तें हैं मिसल वही। मिसल में न्यायभूकाम अर्ज की हेतु लम्बा पत्र अर्जानी दिनांक 10.02.21 को पत्र है।

1/1/21
पीछीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक... को प्रस्तुत करें। 21/01/21 को प्रस्तुत करें।

2/5/21
पीछीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक... को प्रस्तुत करें। 21/6/21 को प्रस्तुत करें।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिहास पत्र
21/6/22	<p>पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी नी मिलिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15/07/21 को प्रस्तुत करें।</p> <p>15/7/22 : वकूलाय उपाय जीवानी/रेफोर्ड के काम जारी जबकि काम केर आर एडर केर शायक है। आवे लगे गे प्रस्तुत केर पदना एवं पदनाय करीबन रेफोर्ड के 6(11, 1/2) गैर हॉल रहे। कल इन्ड विक्क एर प्रसीप कारीगरी काम में करे पावी है। प्रकरण में प्रमाण प्रेषण के रिपोर्ट प्रेषण है। प्रमाण एवं विक्क जाय मिल किंग्स 03/07/22 के फेक है।</p>
उ३	<p>वकूलाय उपाय आर पंचायत कारीगरी के रिपोर्ट प्रेषण है। दिनांक 05/10/22 के फेक है।</p>
05/10/22	<p>वकूलाय उपाय आर पंचायत के रिपोर्ट प्रेषण है। प्रमाण कि सशरीर कारीगरी के पत्र परी करे। मिल किंग्स 11/10/22 के फेक है।</p>

फर्द अहकाम (नियम-28)		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये।
वादीगण	बनाम बनाम्	प्रतिवादीगण
करण :	मुकदमा नं.-	
हुकम या कार्यवाही इतिहास पत्र		
<p>पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>Co. 12-14</p> <p>पीठासीन अधिकारी नी मिलिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16/3/22 को प्रस्तुत करें।</p>		
<p>पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>16/3/22</p> <p>चार संव जायल हाय कार्य</p> <p>पीठासीन अधिकारी नी मिलिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26/4/22 को प्रस्तुत करें।</p>		
<p>पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>26/4/22</p> <p>वकील अचीलांट उपाय आर पंचायत से नाहित रिपोर्ट प्राप्त नही हुमा है। इन्कार होकर दिनांक 30/5/2022 को फेक है।</p>		
<p>पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>30/5/22</p> <p>पीठासीन अधिकारी नी मिलिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 13/7/22 को प्रस्तुत करें।</p>		
<p>पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता</p> <p>27/6/22</p> <p>पीठासीन अधिकारी नी मिलिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 21/8/22 को प्रस्तुत करें।</p>		

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिहास जज	नम्बर अहकाम हुकम में
31/6/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/11/22 को प्रस्तुत करें।	
4/11/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 5/12/22 को प्रस्तुत करें।	
5/12/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6/11/23 को प्रस्तुत करें।	
06/11/23	वक्तुलाय उपा. ग्राम पंचायत की बाहिर रिपोर्ट प्रस्तुत की। नीरिस ज्ञानी विप्रा जंवे। फिल्ल दिनांक 27/11/2023 को प्रेषण की।	
27-1-23	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 17-3-23 को प्रस्तुत करें।	
25/4	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25/11/22 को प्रस्तुत करें।	
25/8	पत्रावली सज्जुता पत्रावली जल ड्राफ्टिंग की पाठना में आदिना दिनांक 23.10.2023 को प्रेषण की।	

फर्द अहकाम
(नियम-26)
अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)
वादीगण बनाम
बनाम प्रतिवादीगण

स्म प्रकरण : मुकदमा नं.-

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिहास जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुई।
29/10/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 8/11/24 को प्रस्तुत करें।	811 24
01/12/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12/11/24 को प्रस्तुत करें।	
21/1/23	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 11/5/24 को प्रस्तुत करें।	
1/4	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 07/4/24 को प्रस्तुत करें।	
7/6	पत्रावली सज्जुता वक्तुलाय पत्रावली जल पंचायत से बाहिर रिपोर्ट प्रेषण, इतनाए दीनर पत्रावली आदिना दिनांक 19.09.24 को प्रेषण की।	
9/7	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9/10/24 को प्रस्तुत करें।	
10/7	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रथम अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15/10/24 को प्रस्तुत करें।	

नम्बर व
अहकाम :
हुकम की
में जारी

हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज

तारिख
हुकम

15/10
2022

~~पत्रावली~~
दस्तावेज

पत्रावली सफुदा वकिल सावरी पत्रावली
को आज नही चलाया जाते है
पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है पत्रावली फौजदारी मुकदमा संख्या
वकिल वकल है